	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
0.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 24.11.25 को पेश की जावे	
24.11.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे फर्दबटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रकरण मे प्राप्त फर्दबटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का वकील वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया गया। प्रकरण मे प्राप्त फर्दबटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 6/2023

प्रहलाद पुत्र जमनालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. गीता पुत्री कालू जी कुम्हार (प्रजापति) निवासी पाछुन्दा हाल पत्नी नारायण जी कुम्हार निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
2. श्री चुन्नीलाल पिता बरदा जी कुम्हार निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
3. वालूलाल पिता कालू कुम्हार निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
4. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः– 24.11.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा मडावदा प0ह0 आंवलहेडा की खाता संख्या 66 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित हैः–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1047/264	1.0500
1079/347	0.9100
कीता–2 कुल रकबा	1.9600 हैक्टर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/6 होकर प्रतिवादीगण भी अपने अपने दर्ज हिस्सेनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक पृथक मौके पर काबिज हो पृथक पृथक काश्त कर रहे है।

उपरौक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी अपने हिस्से 1/4 को जरिये विभाजन मौके पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 19.10.2022 को तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने की कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता हैः–

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र में अंकित खाता संख्या 66 में वर्णित मौजा मडावदा पटवार हल्का ऑवलहेडा तहसील बेगूँ की आराजीयात संख्या 1047/264 एवं 1079/347 योग किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(व) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से प्रकरण मे साक्ष्य वादी एक तरफा की ली जाकर वादी का वाद पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2025 को निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किये जाने का आदेश दिया गयाः–

"अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0 उका0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मौजा मडावदा पटवार हल्का ऑलहेडा तहसील बेगूँ की आराजीयात आराजी संख्या 1047/264 एवं 1079/347 योग किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अअनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/– रूपये पर कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। द्वावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवसादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 1.7.2025 से पूर्व पेश करें यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।"

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाते हुए निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिक डिक्री में वर्णित कृषि आराजीयात का वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/2025/850 दिनांक 20.09.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तथा पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुनी गई।

प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादीया द्वारा की जाकर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादीया का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। इस प्रकार प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जात है। मौजा मडावदा पटवार हल्का ऑवलहेडा की कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग किया जाता है :-

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1-	प्रहलाद पुत्र जमनालाल कुम्हार (प्रजापति) सा0 पाछुन्दा खातेदार	10417/264मे से	0.2625	बीड	0.65
		1079/347 मे से	0.2275	बा.3	0.99
		कीता-2	0.4900 हैक्टर		1.64
2-	1-गीता पुत्री कालू हि0 1/9,कुम्हार (प्रजापति) सा0पाछुन्दा खातेदार	1047/264 मे से	0.2625	बीड	0.65
	2-चुन्नीलाल पुत्र बरदा हि0 2/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0	1047/264 मे से	0.5250	बीड	1.30
	पाछून्दा खातेदार रहन हि0 2/3 ग्रा.से.स0स0लि0 आंवलहेडा	1079/347 मे से	0.2275	बा.3	0.99
	3-बालूलाल पुत्र कालू हि0/29 जति कुम्हार (प्रजापति)सा0पाछून्दा खातेदार रहन हि0 2/9 ग्रा.से.स0स0लि0 आंवलहेडा	1079/347 मे से	0.4450	बा.3	1.97
		कीता-4	1.4700 हैक्टर		4.91

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।
यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 6/2023

प्रहलाद पुत्र जमनालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. गीता पुत्री कालू जी कुम्हार (प्रजापति) निवासी पाछुन्दा हाल पत्नी नारायण जी कुम्हार निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
2. श्री चुन्नीलाल पिता बरदा जी कुम्हार निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
3. बलूलाल पिता कालू कुम्हार निवासी पाछुन्दा तह0 बेगूँ
4. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जात है। मौजा मडावदा पटवार हल्का ऑवलहेडा की कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1–	प्रहलाद पुत्र जमनालाल कुम्हार (प्रजापति) सा0 पाछुन्दा खातेदार	10417/264मे से	0.2625	बीड	0.65
		1079/347 मे से	0.2275	बा.3	0.99
		कीता–2	0.4900 हैक्टर		1.64
2–	1–गीता पुत्री कालू हि0 1/9,कुम्हार (प्रजापति) सा0पाछुन्दा खातेदार	1047/264 मे से	0.2625	बीड	0.65
	2–चुन्नीलाल पुत्र बरदा हि0 2/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 पाछून्दा खातेदार रहन हि0 2/3 ग्रा.से.स0स0लि0 आंवलहेडा	1047/264 मे से	0.5250	बीड	1.30
		1079/347 मे से	0.2275	बा.3	0.99
	3–बालूलाल पुत्र कालू हि0/29 जति कुम्हार (प्रजापति)सा0पाछूनदा खातेदार रहन हि0 2/9 ग्रा.से.स0स0लि0 आंवलहेडा	1079/347 मे से	0.4450	बा.3	1.97
		कीता–4	1.4700 हैक्टर		4.91

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।
यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

दिनांक :– 26/11/25

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 942

वाद संख्या 6/2023 व अनवान प्रहलाद बनाम गीता वगै. वाद अ.धा. 53 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहाय कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ